उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास विभाग-3
संख्या :1988/77-3-09-40(अवस्थापना)/09
लखनऊ : दिनांक : 16 जून, 2009

कार्यालय-ज्ञाप

विषय : प्रदेश में क्रियान्वित करायी जा रही समस्त अवस्थापना परियोजनाओं के अनुश्रवण की व्यवस्था।

औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 में औद्योगिक विकास को त्वरित गति प्रदान करने के उद्देश्य से अवस्थापना संबन्धी उपक्रमों को समयवद्ध रूप में क्रियान्वित कराये जाने की नीति निर्धारित की गयी है। प्रदेश में अवस्थापना विकास से संबन्धित महत्वपूर्ण परियोजनायें निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र तथा पब्लिक प्राईवेट पार्टनशिप (पी.पी.पी.) क्षेत्र में क्रियान्वित करायी जा रही है, जैसे-मेट्रो रेल, उपरिगामी सेतु, पुल, बाईपास, सड़क, वेयर हाऊस, ऊर्जा, जल आपूर्त्ति, जल निकासी, यातायात एवं परिवहन आदि।

2. इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि :-

(i) उपरोक्त सभी क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही समस्त अवस्थापना परियोजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण करने से संबन्धित कार्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा किया जाएगा।

(ii) संबन्धित विभाग के प्रमुख सचिव, विभागीय अवस्थापना से संबन्धित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के मार्ग निर्देशन में कार्य करेंगे तथा उनके प्रति उत्तरदायी (accountable) होंगे।

(iii) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को समस्त विभागो से संबन्धित सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक प्राईवेट पार्टनशिप (पी.पी.पी.) एवं निजी क्षेत्र की अवस्थापना परियोजनाओं के समयवद्ध क्रियान्वयन के अनुश्रवण हेतु अधिकृत किया जाता है।

(iv) ऐसी अवस्थापना परियोजनायें जो शासकीय विभागों, निगमों, परिषदों, प्राधिकरणों आदि द्वारा क्रियान्वित करायी जा रही है, की प्रगति से संबन्धित विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन को नियमित रूप से अवगत करायेंगे तथा इस संबंध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करेंगे।

(v) प्रदेश की समस्त अवस्थापना परियोजनाओं के समयवद्ध क्रियान्वयन एवं आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु एक **'अवस्थापना अनुश्रवण समिति'** का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

1.	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
2.	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन (अवस्थापना कार्य से संबन्धित)।	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना परियोजना से संबन्धित विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य-सचिव

(vi) **समिति का कार्यक्षेत्र निम्नवत् होगा-**

(क) प्रदेश में क्रियान्वित करायी जा रही एवं इस हेतु चिन्हित अवस्थापना परियोजनाओं के अनुश्रवण का कार्य इस समिति द्वारा किया जायेगा।

(ख) अवस्थापना परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का निराकरण समयवद्ध रूप में कराया जाना।

(ग) अवस्थापना परियोजनाओ से संबन्धित समस्त विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।

(घ) आवश्यकतानुसार अवस्थापना परियोजनाओ से संबन्धित अन्य कार्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

(vii) उपरोक्त समिति की बैठक प्रत्येक माह नियमित रूप से एक बार आयोजित करायी जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से एक बार से अधिक भी बैठके आयोजित करायी जा सकती है।

(viii) उद्योग बन्धु द्वारा अवस्थापना परियोजनाओं के विभिन्न माईलस्टोन्स (milestones) का निर्धारण कराया जायेगा तथा इन माईलस्टोन्स की तय समय-सीमा के अनुपालन की स्थिति का अनुश्रवण किया जायेगा। उक्त अवस्थापना अनुश्रवण समिति द्वारा भी इन माईलस्टोन्स के आधार पर परियोजनाओं का अनुश्रवण किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

<u>संख्या :1988(1)/77-3-09 तद्दिनांक</u>

<u>उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u> :-

1. समिति के सदस्यगण।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव एवं विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के नियन्त्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमो के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
4. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. औद्योगिक विकास विभाग के समस्त संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव, एवं समस्त अनुभाग।
7. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
8. मुख्य सचिव महोदय के स्टॉफ ऑफिसर।
9. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0 कानपुर।
10. अवस्थापना परियोजनाओ से संबन्धित समस्त विकास प्राधिकरण, निगम/परिषद/स्वायत्तशासी संस्थायें, उ0प्र0।
11. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।

आज्ञा से-

(वी0 एन0 गर्ग)
प्रमुख सचिव